**15.12.2016**

# सम्मेलन के लिए माननीय कृषि मंत्री हेतु चर्चा का विषय

1. जैविक कृषि की महत्वता को ध्यान में रखते हुए सरकार सतत उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा एवं मृदा स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैविक कृषि न केवल वायु, जल एवं मृदा से अत्यधिक रसायनों को बाहर करते हुए पर्यावरण से विषाक्त भार को कम करता है बल्कि यह लम्बी अवधि तक स्वस्थ्य मृदा को तैयार/पुनर्सृजन करने और हमारी जैव विविधता को बढ़ाने एवं संरक्षित करने में भी मदद करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान जंगली फसल को छोड़कर जैविक प्रमाणन के तहत वर्तमान में जैविक कृषि में कुल क्षेत्र 14.90 लाख हैक्टेयर है। हमारे गरीब एवं सीमांत किसान तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण की अपनी उच्च लागत के कारण इसे अपना नहीं रहे हैं इसलिए घरेलू जैविक मंडी विकास के लिए पीजीएस-भारत कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने हमारे देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रंखला विकास (ओवीसीडीएनईआर) योजनाओं का प्रारंभ किया है।

**क. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)** पहली व्यापक योजना है जिसे एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन प्रति 20 हैक्टेयर के कलस्टर आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कलस्टर के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 1 हैक्टेयर तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और सहायता की सीमा 3 वर्षों के रूपांतरण की अवधि के दौरान प्रति हैक्टेयर 50,000 रूपये है। 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10,000 कलस्टरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

**क.1. <u>स्कीम के घटक</u>**

पीकेवीआई के अधीन प्रमामीणकरण के कलस्टर दृष्टिकोण और भागीदारिता गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय सहायता निम्नलिखित घटकों को प्रदान की गयी है :

i. किसानों को संगठित करना : किसानों को प्रशिक्षण और किसानों द्वारा विगोपन दौरा।
ii. गुणवत्ता नियंत्रण : मृदा नमूना विश्लेषण, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण, कलस्टर सदस्यों के खेतों का निरीक्षण, अवशेष विश्लेषण, प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण प्रभार और प्रशासनिक व्यय।
iii. रूपांतरण पद्धतियां: जैविक कृषि के लिए चालू पद्धतियों से अंतरण जिसमें जैविक आदान, जैविक बीज और परम्परागत जैविक आदान उत्पादन यूनिट और जीव विज्ञानीय नाईट्रोजन फसल रोपण आदि की खरीद शामिल है।
iv. समेकित खाद प्रबंधन : तरल जैव उर्वरक कन्सोर्टिया/जैव कीट नाशी, नीम केक, फोस्फेट युक्त जैव खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट की खरीद।
v. कस्टम हायरिंग केंद्र प्रभार: एसएमएएम दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि उपकरणों को भाड़े पर लेना।
vi. लेबलिंग और पैकेजिंग सहायता एवं परिवहन सहायता।
vii. जैविक मेलों के माध्यम से विपणन।

**क.2 <u>वेस्ट डेकोंपोसर शीशी</u>**

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाज़ियाबाद ने वेस्ट डेकोंपोसर शीशी का ईजाद किया है । जो गोबर की खाद एवं कचरे को 40 - 50 दिनो मै जैविक खाद तयार कर देता है । वेस्ट डेकोंपोसर शीशी को एक ड्रम मै 200 लिटर पानी मै 2 किलो गुड़ कै साथ मिलाया जाता है । इस घोल को दिन मै 3-4 बार डंडे से मिक्स किया जाता है । ये घोल 4-5 दिन मै उपयोग करने कै लिय तयार हो जाता है । इस घोल को गोबर की खाद एवं कचरे कै ढेर पर छिड़का जाता है एवं पूरे खाद को उलट प्लत किया जाता है। ये प्रकिया 4-5 बार करने से गोबर की खाद एवं कचरा खाद बन कर तयार हो जाता है जिसे किसान अपने खेत मै इस्तेमाल कर सकता है । उपरोक्त घोल को खड़ी फसल मै छिड़काव करने से कई प्रकार कै रोग वायदधि को रोकने मै सक्षम होता है ।

**क.3 <u>पीकेवीआई स्कीम के अधीन लक्ष्य एवं उपलब्धियां</u>**

स्कीम की स्थिति: 29 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना 7186 कलस्टर विकसित करने के लिए कुल 511.76 करोड़ रू. के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है जिसमें से वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों को 226.00 करोड़ रू. निर्मुक्त किए गए। 2016-17 के दौरान उपयोग में लाये जाने के लिए 2814 कलस्टरों के निर्माण के लिए 10000 कलस्टरों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्रीय प्रोयोजित स्कीम के रूप में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 297 रू. की राशि आबंटित की गई। स्कीम को 90:10 (भारत सरकार: राज्य सरकार) के वित्तीय पैटर्न के साथ 8 पूर्वोत्तर राज्यों और तीन पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश ओर उत्तराखंड में संघ राज्य क्षेत्र में 100% और देश के शेष राज्यों में प्रतिमान 60:40 के वित्तीय पैटर्न के साथ कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 297 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है । दूसरे वर्ष स्कीम को जारी रखने के प्रयोजनार्थ 17 राज्यों को 99.53 करोड़ रुपए जारी किए गए है ।

हमारी सरकार सतत उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा एवं मृदा स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैविक कृषि न केवल वायु, जल एवं मृदा से अत्यधिक रसायनों को बाहर करते हुए पर्यावरण से विषाक्त भार को कम करता है बल्कि यह लम्बी अवधि तक स्वस्थ्य मृदा को तैयार/पुनर्सृजन करने और हमारी जैव विविधता को बढ़ाने एवं संरक्षित करने में भी मदद करती है।

वर्ष 2013-2014 के दौरान जंगली फसल को छोड़कर प्रमाणित जैविक खेती के तहत विभिन्न फसलों में केवल 7.23 लाख हैक्टेयर छेत्रफल था जो वर्ष 2014-15 में 11.84 लाख हैक्टेयर हो गया तथा वर्ष 2015-16 के दौरान जंगली फसल को छोड़कर प्रमाणित जैविक खेती के तहत विभिन्न फसलों का कुल क्षेत्र 14.90 लाख हैक्टेयर है । हमारे गरीब एवं सीमांत किसान तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण की अपनी उच्च लागत के कारण इसे अपना नहीं रहे हैं इसलिए **पीकेवीवाई** योजना के अंतर्गत घरेलू जैविक मंडी विकास के लिए **पीजीएस-भारत कार्यक्रम** की शुरूआत की गई है।

**राज्य: उत्तर प्रदेश**

योजना का नाम - परंपरागत कृषि विकास योजना

| वर्ष | भौतिक प्रगति | | | वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए) | | | | उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल योजना | पूर्ण | अपूर्ण (कारण के साथ) | कुल राशि | निर्गमन की राशि* | खर्च की राशि | शेष राशि | |
| 2015-16 | 575 समूहों के गठन | प्रक्रियापूर्ण | यह योजना तीन साल की अवधि में पूरा करने के लिए है | 4104.39 (केंद्रीय राशि 2462.64) | 2052.20 | 1075.692 | 976.5086 | उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि 1075.692 लाख का प्राप्त हु आ |
| 2016-17 | 295 | प्रक्रियाधीन | - | 1263.43 | 1270.64 | - | 1270.64 | प्रतीक्षित |

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया है
2. राज्य सरकार ने राज्य के शेयर आवंटन का ब्यौरा दिया है

4. **पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण भारत के समग्र विकास एवं भारतीय युवाओ की प्रतिभा को उभारने हेतु उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत एक नई योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना आरम्भ की है| भारत की अधिकांश जनसँख्या ग्रामीण क्षेत्रो में रहती है और कृषि एवं अन्य कृषि संबंधित क्षेत्रो से जुडी हुई है | ग्रामीण विकास के बिना भारत सर्वांगीण विकास नही कर सकता और न ही विश्व में अपना स्थान बना सकता है|

यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि शिक्षा प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है| जिसके **उदेश्य** निम्लिखित है %

1. जैविक खेती और टिकाऊ कृषि के प्रति रास्ट्रीय आवश्यकतानुसार ग्रामीण स्तर पर प्रासंगिक कुशल मानव संसाधन का निर्माण करना|
२. ग्रामीण भारत को प्राकृतिक खेती/ जैविक खेती / ग्रामीण अर्थव्यवस्था / टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक समर्थन प्रदान करना ।
3. इन स्थापित केन्द्रों के माध्यम से ग्राम स्तर पर उन्नत भारत अभियान की अन्य गतिविधियों का विस्तार करना ।

वर्ष 2015-16 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि शिक्षा विभाग ने उन्नत भारत अभियान की गतिविधियों के तहत लखनऊ, कनेरीमठ कोल्हापुर, अमृतसर, अविकानगर एवं झांसी में रास्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया । प्रत्येक कार्यशाला में 250 से अधिक किसानों ने भाग लिया और उन्नत भारत अभियान की गतिविधियों का लाभ लिया । इसके अलावा जैविक खेती / प्राकृतिक खेती/ गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये । इससे रास्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और किसानो को बहुत लाभ हुआ जिसके परिणाम स्वरूप किसान प्रोत्साहित होकर इसी तरह के अन्य कार्यक्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आ रहे है |

**कार्य योजना :**

- प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने एवं प्राकृतिक खेती / जीविक खेती / टिकाऊ कृषि/ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षको का चयन किया जाएगा |

- इन केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रो में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे|
- इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित उन्नत भारत अभियान की विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षको की भागीदारी के आधार पर पूरे देश में लगभग 100 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जायेंगे|

- प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में  प्रतिवर्ष 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे एवं प्रत्येक प्रशिक्षण में 30 प्रतिभागी भाग लेंगे |

- पाँच क्षेत्र समन्वयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार / संशोधन करने हेतु नियुक्त किये जायेंगे|

**प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना :**

पंडित दीन दयाल उन्नत कृषि शिक्षा योजना के 23 केन्द्र :

- आईजीएफआरआई, झांसी; आईवीआरआई, बरेली; आरएलबीसीएयू, झांसी; चित्रकूट विश्वविद्यालय; DUVASU, मथुरा प्रत्येक में एक-एक
- CRIJAF, प्रतापगढ़ (सुल्तानपुर, गोरखपुर); CSAUAT, कानपुर (अलीगढ़ व फरूर्खाबाद); आईआईवीआर, वाराणसी (देवरिया व वाराणसी); आईआईएसआर, लखनऊ (अमेठी व लखनऊ) प्रत्येक में दो-दो
- IIPR, कानपुर (बहराइच, भदोही व बलिया) तथा SVBPUAT, मेरठ (मुरादाबाद, शामली व बुलन्दशहर) प्रत्येक में तीन-तीन
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (गाजीपुर, बरेली, वाराणसी, मिर्जापुर) में चार केन्द्र

प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए उन किसानो का चयन किया जायेगा, जिन्होंने वर्ष 2015-16 या उससे पूर्व उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत  या उससे पूर्व आयोजित प्राकृतिक खेती संबंधित प्रशिक्षण पाठयक्रम में भाग लिया हो, अथवा जिसे जैविक खेती /  प्राकृतिक खेती /टिकाऊ खेती का ज्ञान हो अथवा जो किसान अपने ही खेत में खेती की इन पद्धतियों का अभ्यास कर रहा हो एवं जैविक खेती की मूल बातें एवं मौलिक सिद्धांतो से अवगत हो |

**परिणाम:**

प्रस्तावित योजना निश्चित रूप से पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर विशेष रूप से मृदा स्वास्थ्य, स्थिरता और उत्पादकता के सन्दर्भ में जागरूकता को बढाने के साथ -साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लायेगी| यह योजना कृषि की पारंपरिक पद्धतियों को पुनः जीवंत कर ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने में योगदान करेगी | यह योजना किसानो के लिए उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभ बढ़ाने के साथ-साथ अच्छी  गुणवत्ता एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्रदान करने की  एक पहल है |

5. **जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय** और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता जैविक खेती में एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि उत्तराखंड में गंगा की धारा से लेकर पश्चिम बंगाल तक 1657 ग्राम पंचायतों में नमामि

गंगे परियोजना के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1657 कलस्टर में जैविक खेती को विकसित किया जायेगा । इस परियोजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय कलस्टर निर्माण के साथ साथ एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और माइक्रो सिचाई तकनीकियों पर प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा ।

**उत्तर प्रदेश**

**योजना का नाम - सॉयल हैल्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)**

| वर्ष | भौतिक प्रगति | | | वित्तीय प्रगति (रू. लाख में) | | | | | | अद्यतन (उपयोगिता प्रमाण पत्र) की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल योजनाएं | पूर्ण | अपूर्ण (कारण सहित) | आवंटित राशि | ओपनिंग राशि | निर्गमन राशि | कुल राशि | खर्च की गई राशि शेष राशि | शेष राशि | |
| 2014-15 | * | * | * | - | 0.00 | 354.47 | 354.47 | 354.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-16 | * | * | * | 2386.50 | 0.00 | 1716.42 | 1716.42 | 282.05 | 1434.37 | रू 1434.37 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षित |
| 2016-17 | * | * | * | 4884.09 | 1434.37 | 2442.045 | 3876.415 | 0.00 | 3876.415 | रू 2442.045 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षित |
| कुल | | | | 7270.59 | | 4512.935 | | 636.52 | 3876.415 | |

***** प्रगति (दिनांक 14.12.2016 तक)

(i) 47.70 लाख नमूने लक्ष्य की तुलना में 42.30 लाख नमूने एकत्रित एंव 17.13 लाख नमूने विश्लेषित किए गए।

(ii) 263.91 लाख कार्ड लक्ष्य की तुलना में केवल 50.88 लाख कार्ड वितरित किए गए।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:-

(i) नमूना विश्लेषण (36%) एवं कार्ड वितरण (19%) की प्रगति धीमी है।

## उत्तरप्रदेश

**योजना का नाम - सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट (Soil Health Management Scheme)**

| वर्ष | भौतिक प्रगति | | | वित्तीय प्रगति (रू. लाख में) | | | | | | अद्यतन (उपयोगिता प्रमाण पत्र) की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल योजनाएं | पूर्ण | अपूर्ण (कारण सहित) | आवंटित राशि | ओपनिंग राशि | निर्गमन राशि | कुल राशि | खर्च की गई राशि शेष राशि | शेष राशि | |
| 2014-15 | (i) मोबाइल लैब की स्थापना -10<br>(ii) पोर्टबल सॉयल टेस्टिंग किट - 70<br>(iii) बायोफर्टीलाइजर यूनिट -2 | - | राज्य सरकार से प्रतिक्षित | - | 0.00 | 678.85 | 678.85 | 35.00 | 643.85 | रू 643.85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षित |
| 2015-16 | (i) उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण - 4<br>(ii) जैव उर्वरक एवं जैव उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण - 8<br>(iii) मिट्टी के सुदृढ़ीकरण परीक्षण लैब - 50 | - | राज्य सरकार से प्रतिक्षित | 1124.04 | 643.85 | 838.13 | 1481.98 | 59.39 | 1422.59 | रू 778.74 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षित |
| 2016-17 | - | - | - | 2268.30 | 1422.59 | 0.00 | 1422.59 | 0.00 | 1422.59 | - |
| कुल | | | | 3392.34 | | 1516.98 | | 94.39 | 1422.59 | |

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. वर्ष 2014-15 एंव 2015-16 का क्रमश: 643.85 लाख रू एवं 778.74 लाख रू का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट प्रतिक्षित

मुझे पूर्ण आशा है कि आज की हमारी वर्कशॉप सफल होगी, साथ ही कृषकों का सामूहिक विकास होगा तथा जैविक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने से लाभ मिलेगा।